

प्रषक,

स्वप्ना सिंह,
अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय,
कोर्ट संख्या-1, उन्नाव।

सेवा में,

माननीय महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान् प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, जनपद उन्नाव।

पत्रांक-

215

/ दिनांकित

20-08-24

विषय:-

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या-9691/IV-F-82(PENSION)/Admin(A) दिनांकित 16 जुलाई 2024 तथा शासनादेश सं0-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)2024, दिनांक-28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन हेतु विकल्प चयनकरने का प्रार्थना पत्र।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरी की नियुक्ति उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक-26.05.2006 के नियुक्ति आदेश (नियुक्ति अनुभाग-4, संख्या-2430/दो-4-06-32(1)/2001 टीसी.-1) से हुई थी। अधोहस्ताक्षरी ने माननीय उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन नं0-1185/DR(S)/2006, दिनांकित-13.06.2006 के अनुक्रम में दिनांक-14.06.2006 को जनपद लखनऊ में अपर सिविल जज (जू0डि0) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। अधोहस्ताक्षरी की उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में नियुक्ति हेतु विज्ञापन 22-28 नवम्बर, 2003 के रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन सं0-ए-2/ई-1/2003 के अन्तर्गत हुई थी। इस प्रकार अधोहस्ताक्षरी शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1) 2024, दिनांकित-28 जून, 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना से अच्छादित होने की पात्र है तथा अधोहस्ताक्षरी पुरानी पेंशन योजना के विकल्प का चयन करती है।

अधोहस्ताक्षरी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या-9691/IV-F-82(PENSION)/Admin(A) दिनांकित 16 जुलाई 2024 तथा शासनादेश सं0-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1) 2024, दिनांकित-11 जुलाई 2024 के अनुक्रम में, अपना विकल्प पत्र पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित करने हेतु प्रेषित कर रही है। अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरी को पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत शामिल किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किए जाने की कृपा करें।

सादर।

दि0-16.8.2024

संलग्नक :-

1- पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने हेतु विकल्प पत्र।

भवदीय

Swarna Singh
(स्वप्ना सिंह) 16.08.24

अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय,
कोर्ट संख्या-1, उन्नाव।
आई0डी0 नं0- UP6245

अमरशर्मा

2008/24

प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय, उन्नाव

शासनादेश सं०-14 / 2024 / सा-3-243 / दस-2024 / 301(1)2024, दिनांक-28 जून, 2024 तथा
शासनादेश संख्या-20 / 2024 / सा-3-276 / दस-2024 / 301(1)2024, दिनांक-11 जुलाई 2024 के
अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना के चयन का विकल्प पत्र -

1. नाम - SWAPNA SINGH आई०डी० नं०- U.P 6245
2. वर्तमान पदनाम - ADDITIONAL PRINCIPAL JUDGE, FAMILY COURT (UNNAO)
3. वेतनमान - 144840-194660
4. वर्तमान विभाग का नाम - न्याय विभाग / उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम - लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6. विज्ञप्ति की तिथि-A-2/E-1/2003, Employment News 22-28 November 2003/15-11-2003
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि - 26-05-2006
8. योगदान की तिथि - 14-06-2006
9. जन्म तिथि - 30-1-1973
10. सेवा निवृत्ति की तिथि - 31-1-2033

मैं SWAPNA SINGH पत्नी SRI AVINASH SINGH शासनादेश संख्या-14 / 2024 / सा-3-243 / दस-2024 / 301(1)2024, दिनांक-28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना(√) में सम्मिलित होने का विकल्प देती हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम समझा जाए।

हस्ताक्षर-.....*Swapna Singh*

नाम- SWAPNA SINGH

पदनाम-ADDITIONAL PRINCIPAL JUDGE, FAMILY COURT
(UNNAO)

जे०ओ० कोड- UP6245

घोषणा पत्र

मैं SWAPNA SINGH पदनाम ADDITIONAL PRINCIPAL JUDGE, FAMILY COURT (UNNAO) यह घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर-.....*Swapna Singh*

नाम- SWAPNA SINGH

पदनाम- ADDITIONAL PRINCIPAL JUDGE, FAMILY COURT
(UNNAO)

जे०ओ० कोड- UP6245

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्रीमती SWAPNA SINGH पदनाम ADDITIONAL PRINCIPAL JUDGE, FAMILY COURT (UNNAO) को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना(√) में सम्मिलित किए जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

28-07-24
कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय, उन्नाव